"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2018—फाल्गुन 18, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शशिकला थूल ध. प. श्री मधुकर थूल, उम्र 59 वर्ष, निवासी-एफ-26, सेक्टर-3, एकता नगर, गुढ़ियारी रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरे समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती शशिकला थूल (Thul) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम श्रीमती शशिकला थूल (Thool) ध. प. श्री मधुकर थूल (Thool) रख ली हूं. तथा यह परिवर्तित नया नाम मेरे आधार कार्ड व पेनकार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती शशिकला थूल (Smt. Shashikala Thool) ध. प. श्री मधुकर थूल (Shri Madhukar Thool) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती शशिकला थूल (Smt. Shashikala Thul) पति-श्री मधुकर थूल (Shri Madhukar Thul) निवासी-एफ-26, सेक्टर-3, एकता नगर, गुढ़ियारी रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) पिन-492009	श्रीमती शशिकला थूल (Smt. Shashikala Thool) पति-श्री मधुकर थूल (Shri Madhukar Thool) निवासी-एफ-26, सेक्टर-3, एकता नगर, गुढ़ियारी रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) पिन-492009

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, के. एच. एस. राव आत्मज श्री के. रंगाराव उम्र. 43 वर्ष, निवासी-1/461, हुडको सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड शासकीय व अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा नाम के. हेम सुन्दर राव आ. के. रंगाराव दर्ज है जो कि मेरा प्रचलित नाम है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम के. एच. एस. राव रख लिया हूं. तथा मेरा यह नया नाम मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे के. एच. एस. राव आ. श्री के. रंगाराव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

के. हेम सुन्दर राव
पिता-श्री के. रंगा राव
निवासी-1/461, हुडको सेक्टर,भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

के. एच. एस. राव
पिता-श्री के. रंगा राव
निवासी-1/461, हुडको सेक्टर,भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शीतल सोना ध. प. स्व. लाला सोना, उम्र 35 वर्ष, निवासी-भाटापारा, वार्ड नं.-21, शिवाजी चौक, भिलाई, चरोदा, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उसका नाम महेश कोष्टा आत्मज स्व. लाला कोष्टा दर्ज हो जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम महेश सोना आ. स्व. लाला सोना रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को महेश सोना आ. स्व. लाला सोना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

महेश कोष्टा
पिता-स्व. लाला कोष्टा
निवासी-भाटापारा, वार्ड नं.-21,
शिवाजी चौक, भिलाई, चरोदा,
तहसील- पाटन
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

महेश सोना
पिता-स्व. लाला सोना
निवासी-भाटापारा, वार्ड नं.-21,
शिवाजी चौक, भिलाई, चरोदा,
तहसील- पाटन
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा

प्रारूप क्र. 4

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

जांजगीर, दिनांक 3 फरवरी 2018

क्र./362/अ. वि. अ./वा-2/2018.—यह कि श्री चंदूलाल कश्यप पिता श्री श्रीराम कश्यप निवासी ग्राम-मिसदा तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 05-03-2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आश्य रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों का विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	मां शारदा एजूकेशन पब्लिक ट्रस्ट मिसदा, ग्राम-मिसदा, तहसील-नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
(2)	अचल संपत्ति	:	निरंक
	अचल संपत्ति	:	कुर्सी 10 नग, अलमारी गोदरेज 2 नग, दरी 15 X10, 4 नग, गिलास स्टील 12, टेबल 3 नग, बेंच 10 नग, टब 2 नग.

अजय उरांव,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.